



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112022-240177
CG-DL-E-10112022-240177

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]
No. 556]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2022/कार्तिक 19, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022/KARTIKA 19, 1944

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना/शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी.उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022

संदर्भ क्रम मिसिल. सं. 1-3/2021 (क्यूआईपी).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (च) एवं (छ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और यू.जी.सी. (एम. फिल/पी.एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया विनियम, 2016 के अनुपालन में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 3 (खंड 4) दिनांक 07 नवंबर, 2022 संख्या 544 में प्रकाशित सूचना में छपी त्रुटियों को दूर करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

क्र.सं. अनुसूची के कॉलम	वर्तमान व्याख्यान	संशोधित व्याख्यान
1. पृ.सं. 2 बिन्दु ट	(प)	(I)
2. पृ.सं. 2 बिन्दु ट	(पप)	(II)
3. पृ.सं. 3 बिन्दु 3 का उपबिंदु i) अनुच्छेद.1	55:	55%
4. पृ.सं.3 बिन्दु 3 का उपबिंदु i) अनुच्छेद 2:	5:	5%
5. पृ.सं.3 बिन्दु 3 का उपबिंदु i) अनुच्छेद 3:	75:	75%
6. पृ.सं.3 बिन्दु 3 का उपबिंदु i) अनुच्छेद 3:	5:	5%
7. पृ.सं.3 बिन्दु 3 का उपबिंदु 2	55:	55%
8. पृ.सं.3 बिन्दु 4 का उपबिंदु 2	40:	40%
9. पृ.सं.4 बिन्दु 5 का उपबिंदु 2 (ख)	50 :	50%

10.	पृ.सं.4 बिन्दु 5 का उपबिंदु 2 (ख)	50 :	50%
11.	पृ.सं.4 बिन्दु 5 का उपबिंदु 2 (ग)	50 :	50%
12.	पृ.सं.4 बिन्दु 5 का उपबिंदु 2 (घ)	5 :	5%
13.	पृ.सं.4 बिन्दु 5 का उपबिंदु (च)	70 :	70%
14.	पृ.सं.4 बिन्दु 5 का उपबिंदु (च)	30 :	30%
15.	पृ.सं.4 बिन्दु 6 का उपबिंदु (1)	वि.विद्यालय	विश्वविद्यालय
16.	पृ.सं.5 बिन्दु 9 का उपबिंदु (3)	55:	55%

प्रकाश, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./382/2022-23]